Journal of Socio-Educational & Cultural Research, Vol. 2, No. 5, July-December, 2016 ISSN : 2394-2878

वैश्वीकरण के दौर में महिला सशक्तिकरण : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

प्रियंका कुमारी*

वर्तमान समय को वैश्वीकरण का युग माना जा सकता है। आज वैश्वीकरण के प्रभाव से विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं रह गया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से नवीन संचार–माध्यमों की भूमिका रही है। सूचना और संचार निःसंदेह ये दो संकेत शब्द हैं जो वैश्विक हलचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्वीकरण के दौर में सूचना प्रौधोगिकी ने महिला सशक्तिकरण में अहम् भूमिका निभाई है। पिछले दो दशकों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विकासशील देशों में महिलाओं के जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। तथा इसने लिंग भेद–भाव को भी नए आयाम प्रदान किए हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य अर्थात वैश्वीकरण के इस दौर में महिलाएँ इन्टरनेट का प्रयोग बहुत ही सुगमता से कर रही हैं जो अनेक आत्मविश्वास को बढ़ाता है तथा एहसास दिलाता है कि वे समाज में होने वाली गतिविधियों से परिचित हैं तथा समाज की मुख्यधारा से जुड़ी हैं। वैश्वीकरण की प्रकिया ने आज महिलाओं के लिए रोजगार के नए–नए अवसर प्रदान किए हैं, जो उनके सशक्तिकरण के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण विश्व के लगभग सभी समाजों में महिला एवं पुरूषों के बीच विभेद को कम करने का प्रयास है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य–महिलाओं की पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशा में सुधार लाना है। महिला सशक्तिकरण वास्तविक अर्थों में महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति का उत्पन्न होना है। जिससे वे अपने प्रति हो रहे आर्थिक, सामाजिक एवं पारम्परिक भेद–भावों को पहचानकर उनका प्रतिकार करने योग्य बन सकें।[1]

पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्दों में ''एक अच्छे राष्ट्र को बचाने के लिए महिला सशक्तिकरण एक आवश्यक पूर्व दशा है। क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो समाज में स्थायित्व सुनिश्चित होता है। महिला सशक्तिकरण आवश्यक है क्योंकि उनके विचार एवं मूल्य ही एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः एक आच्छे राष्ट्र के विकास की अगुवाई करते हैं।'' महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय है महिला को विभिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त करना, जिससे वह विभिन्न क्षेत्रों में अपने मौलिक अधिकारों का पूर्णतया उपभोग करते हुए स्त्री जीवन की उपलब्धियों का संवर्धन कर सके अर्थात् जब हम शक्ति या क्षमता के प्राधिकारी संदर्भ में महिलाओं को विशेष अधिकार एवं कर्त्तव्य बोध कराते हैं उन्हें समाज या समुदाय से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने अथवा नीति लागू करने की क्षमता प्रदान करते है तो यह प्रक्रिया महिला सशक्तिकरण की ओर संकेत करती है।

सशक्तिकरण अर्थात् सशक्त बनाने का सामान्य अर्थ है शक्ति प्रदान करना अथवा कुछ शारीरिक व मानसिक कृत्यों के लिए क्षमता देना। कुछ अन्य अर्थ हैं स्त्रियों को अधिकार प्रतिनिधान करना, समर्थ बनाना, विभिन्न शक्तियों से सम्पन्न करना। सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वयं पर तथा संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना शक्तिशाली होने का द्योतक है। 'सशक्तता' शब्द में एक शब्द समाहित है 'शक्ति'। अर्थात् सशक्तता का सम्बंध शक्ति या ताकत से है तथा शक्ति संतुलन को बदलने से है। हर समाज में शक्तिशाली और शक्तिहीन समूह होते हैं। समूहों और व्यक्तियों के बीच आपसी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सम्बन्धों में शक्ति या ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। शक्ति की परिभाषा हम यूँ दे सकते हैं कि संसाधनों और धारणाओं पर नियंत्रण। जिन संसाधनों पर नियंत्रण किया जा सकता है उन्हें हम पाँच मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं – भौतिक संसाधन (जैसे – जमीन, जल, जंगल), मानव संसाधन (मनुष्य, उनके शरीर, मेहनत, हुनर), बौद्धिक संसाधन (ज्ञान, विचार, जानकारी), आर्थिक संसाधन (धन और उस तक पहुँच), स्वः (यह बुद्धि, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और आत्म सम्मान सबसे मिलकर बनने वाला एक विशेष गुण है।) उसी प्रकार धारणाओं पर नियंत्रण का मतलब है लोगों के विश्वासों, मूल्यों, रवैयों को तय करने की ताकत या यूँ कहें कि लोगों की सोच–समझ पर नियंत्रण। किसी भी व्यक्ति या समूह की शक्ति का अन्दाजा इस बात से होता है कि किन–किन संसाधनो तक उनकी पहुँच और उन पर उनका नियंत्रण है। इसी नियंत्रण से उन्हें फैसले लेने की ताकत मिलती है। जिनके जरिए फिर वे संसाधनों पर अपने नियंत्रण को और बढ़ाते जाते हैं।

* **शोध छात्रा, एम.फिल,यू.जी.सी,नेट, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची**

अगर इस परिभाषा को मानते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि सामान्य तौर पर सभी औरतों तथा खासकर गरीब औरतें तुलनात्मक रूप से शक्तिहीन हैं, क्योंकि संसाधनों पर उनका नियंत्रण नहीं हैं। और इसलिए उनके पास फैसले लेने की ताकत भी या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। कई बार जो थोड़े बहुत संसाधन उनके हैं भी, जैसे थोड़ी सी जमीन या पास का जंगल, उनका अपना शरीर या अपनी मेहनत और हुनर, उन पर उनका अपना नियंत्रण नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि औरतें पूरी तरह से शक्तिहीन रहीं हैं या आज हैं। औरतें इतनी निष्क्रिय या नकारा नहीं हैं। सदियों से वे समाज द्वारा दिए गए या उससे छीने गए संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी परिवार की जिन्दगियों पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करती रही हैं। समाज द्वारा दी गई जेण्डर आधारित माँ, पत्नी और कामगार की भूमिकाओं के बीच रहते हुए भी वे अपने आस–पास के माहौल पर असर डालने की कोशिश ही नहीं करती हैं बल्कि अपना यह दायरा बढ़ाने की कोशिश भी करती आई हैं। फिर भी पितृसत्तात्मक सोंच के तहत चुपचाप रहना, त्याग करना, दबना और आज्ञा मानना ही औरत का कर्त्तव्य माना गया है। इन आदर्शो के चलते उसकी ऊपर उठने और संसाधनों पर नियंत्रण पाने की कोशिश प्रायः सफल नहीं हुई है। इस तरह से हम यह देखते हैं कि खुद पर, सोंच और संसाधनों पर नियंत्रण पाना ही शक्ति पाना है जिसे 'सशक्तता' कहा जा सकता है। इस प्रकार 'सशक्तता' मंजिल नहीं एक सफर है। सशक्त का उदेश्य अधीनता और दबाव को चुनौती देना, असमानता बढ़ाने वाली संस्थाओं जैसे–परिवार, जाति, वर्ग व्यवस्था, धर्म आदि के ढ़ाँचो को बदलना।[2]

हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है इसलिए परूष वर्ग घर के बाहर की जिम्मेदारी निभाता है और महिलाएँ घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी निभाती हैं। लेकीन इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को सदैव पुरूषों के संरक्षण में रहने की सीख दी जाती है। उसपर अनेकों वर्जनाएँ थोपी जाती हैं कि वो क्या पहनें क्या नहीं, कैसे रहें, कितना बोलें इत्यादि। अतः जब तक समाज में पुरूषवादी सोंच या मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा महिला सशक्तिकरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके लिए स्वयं महिलाओं को भी अपने अस्तित्व, आदर, अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा आन्तरिक क्षमता एवं उर्जा के प्रति जागरूक होना होगा तथा अपनी व्यक्तिगत जिन्दगी के प्रत्येक क्षेत्र को स्वयं की शक्ति द्वारा संचालित करने की क्षमता पैदा करना होगा। तभी सही मायने में महिलाएँ सशक्तता को प्राप्त कर सकती हैं।

महिलाओं की स्थिति को भारत के संदर्भ में देखें तो पाते हैं कि वैदिक काल में समाज में उनकी स्थिति काफी अच्छी थी। परन्तु इसके बाद उनकी स्थिति में ह्रास होने लगा। 19वीं शताबदी में विभिन्न समाज–सुधारकों, महिला संगठनों तथा कानूनी संरक्षण के कारण महिलाओं की प्रस्थिति में अनुकूल परिवर्तन होने लगे। महिलाओं के हितों की रक्षा, उनके विकास हेतु एवं परामर्श देने के लिए महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 1992 में महिला आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष तथा 2013 को महिला सुरक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया गया।

स्त्रियों का पुरूष के समान दर्जा तथा आधिकार दिलाने के सम्बंध में भारतवर्ष विश्व में हुए वैचारिक परिवर्तनों में पीछे नहीं रहा। भारत और विश्व में 1974 महिला वर्ष के रूप में और 1975–85 महिला दशक के रूप में मनाया गया। भारतवर्ष द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी निर्णय तथा प्रतिबद्धतायें महिलाओं के सशक्तिकरण के हित में लिए गए हैं, उनमें भारतवर्ष सदैव ही अग्रणी रहा है।[3]

सितम्बर 1995 में चीन की राजधनी बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र संध के तत्वाधान में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का लक्ष्य 1975 में मैक्सिको में आयोजित प्रथम संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन में औपचारिक रूप से शुरू की गयी प्रक्रिया को गति प्रदान करना था। मैक्सिको सम्मेलन में सौ से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने पुरूषों एवं महीलाओं में व्याप्त विषमताओं को मिटाने की दिशा में चल रहे सरकारी प्रयासों के मार्ग–दर्शन के लिए एक विश्व कार्य योजना का निर्धारण किया। 1976–85 के दशक को संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। इसका मूल उद्देश्य विश्वभर में महिलाओं के अधिकारों और स्थिति का परीक्षण करना तथा सभी स्तरों पर उन्हें निर्णयकारी प्रक्रिया में शामिल करना था। इस दशक के मध्य में अर्थात् 1980 में, कोपेनहेगेन (डेनमार्क) में द्वितीय संयुकत राष्ट्र महिला दश्क की उपलबिधयों के विश्लेषण के उद्देश्य से वर्ष 1985 में नैरोबी (केन्या) में तृतीय संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में महिला उत्थान हेतु नैरोबी प्रगतिशील रणनीति को अपनाया गया, जिसे वर्ष 2000 तक क्रियान्वित होना था।

संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सितम्बर 2000 में आयोजित सम्मेलन में 147 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे, उसमें जो योजना बनायी गयी थी उस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किया था। इसमें आठ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिसे 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रक्षा गया था। इन आठ लक्ष्यों में अत्यधिक गरीबी एवं भूख का उन्मूलन करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना, लैंगिक समानता को बढावा देना, बाल मृत्यु–दर कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, एच.आई.वी. को शून्य करना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना तथा विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना इत्यादि शामिल किए गए थे। इन लक्ष्यों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लक्ष्य को हम महिला सशक्तिकरण के रूप में देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महिला सशक्तिकरण से संबंधित अब तक चार विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मैक्सिकों में आयोजित प्रथम विश्व सम्मेलन (1975) में समानता विकास तथा शांति पर बल दिया गया। द्वितीय विश्व सम्मेलन कोपेनहेगेन (1980) में हुआ जिसमें शिक्षा, नियोजन तथा स्वास्थ्य जोड़े गए। तथा तृतीय सम्मेलन नैरोबी (केन्या) में 1985 में हुआ तथा चतुर्थ सम्मेलन बीजिंग (1995) में किया गया जिसमें लैगिंक समानता पर बल दिया गया। जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की बात कही गयी।[4]

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को केवल सशक्त करना ही नहीं है, ना ही पुरूषों की नकल करना है। नारी सशक्तिकरण का बहुत सीधा अर्थ है कि नारी और पुरूष इस दुनियाँ में बराबर हैं तथा जो नारी का मूलभूत अधिकार हैं, यानि सामाजिक व्यवस्था में जो बराबर की हिस्सेदारी है वह नारी को मिलना चाहिए अर्थात् नारी और पुरूष दुनियाँ में 50 प्रतिशत के भागीदार हैं इसलिए लिंग भेद के आधार पर कामों, अधिकारों तथा नियमों का बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए। नारी विकास की गति को पुरूषों के बराबर लाने के लिए आज नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण नीचे से ऊपर जाने वाली एक सामाजिक तथ बहुआयामी प्रक्रिया है। जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसम्पन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वार खुले, भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, कानूनी हक और प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हों। महिलाओं का सशक्तिकरण का तात्पर्य सिर्फ शक्ति का अधिग्रहण नहीं है बल्कि इसके द्वारा महिलाओं में शक्ति प्रयोग की क्षमता का विकास किया जाता है। महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब वे अपने अस्तित्व, आदर, अधिकारों एवं कर्तव्यों, क्षमता और आंतरिक उर्जा के प्रति जागरूक होंगी। अतः महिला सशक्तिकरण वास्तविक अर्थों में महिला को इस योग्य बनाना है कि वे अपनी बुधिमता, योग्यता, और क्षमताओं को प्रत्यारोपित कर सके और अपने अन्दर निहित उर्जा को पहचाने एवं विचार, कथन और कार्य करने की आजादी के साथ–साथ अपनी निजी जिन्दगी के प्रत्येक क्षेत्र को सशक्ति द्वारा संचालित कर सके।

महिला सशक्तिकरण को हम निम्न बिन्दुओं द्वारा माप सकते हैं[5]:–

- संसद एवं विधान मंडलों में महिलाओं की भागीदारी।
- प्रशासन एवं प्रबंधन में उसकी भागीदारी की प्रतिशत।
- प्रोफेशनल एवं तकनीकी सेवाओं में उनका अनुपात।
- महिलाओं के प्रति व्यक्ति आमदनी और उसकी तुलनात्मक आर्थिक स्थिति।

महिला सशक्तिकरण की माप के लिए यद्यपि उपर्युक्त चार तत्वों के अतिरिक्त अन्य मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है। जैसे – शैक्षिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, देशाटन की सुविधा, निर्णय का अधिकार, सत्ता के साथ–साथ सम्पत्ति में पुरूषों के बराबर हक इत्यादि।

वैश्वीकरण के इस युग में महिला सशक्तिकरण की बयार में तेजी आई है। आए दिन अखबारो, पत्रिकाओं, विभिन्न सेमिनार इत्यादि में महिला सशक्तिकरण की चर्चा होती रहती है। तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा महिलाओं को जागरूक करने का कार्य भी किया जाता है। सरकार द्वारा भी इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहें हैं। महिलाओं को विभिन्न लघु उद्योगों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है तथा विभिन्न रोजगारों से भी जोड़ा जा रहा है। ताकी वे स्वयं के पैरों पर खड़ी हो सकें।

महिला सशक्तीकरण वर्ष (2001) के कई पत्र, पत्रिकाओं ने स्त्री विषयों पर केन्द्रित विशेषांक निकालें। जब किसी वर्ष को किसी विशेष मुद्दे से जोड़कर विशेष बनाया जाता है तो उसका अभिप्राय होता है, सबका ध्यान उस मुद्दे की ओर आकर्षित कर कुछ सुझाव माँगना, कुछ निष्कर्ष निकालना, कुछ योजनाएँ लागू करना तथा उस समस्या के समाधान हेतु सबका ध्यान आकर्षित करना एवं सबका सहयोग लेना।[6]

आज जहाँ दुनियाँ इन्टरनेट के माध्यम से सिकुड़ती जा रही है। वहीं आधी आबादी समानता की लड़ाई लड़ रहा है। इस समानता को प्राप्त करने के लिए हमें अर्थात् पूरे समाज को उन्हें अवसर उपलब्ध कराना होगा तथा महिलाओं को स्वयं भी अवसर पहचानना होगा। इसके लिए समाज में स्त्री–पुरूषों के बीच व्याप्त विषमता को पलटकर समता पैदा करना होगा। स्त्री–पुरूष के लिए विभिन्न समान अवसरों के लिए एक समान परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के प्रयास भी करने होंगे। महिलाओं को स्वयं के प्रति चेतना विकसित करनी होगी, उन्हें स्वयं के प्रति शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना होगा। समाज में सदियों से चली आ रही रूढ़ियों एवं अजीबों–गरीब प्रथाओं को समाप्त करना होगा। समाज में स्त्री–पुरूष के बीच अधीनस्थता के भाव को समाप्त करना होगा। तथा उर्द्धवाधर क्रम व्यवस्था को बदलकर क्षैतिज बनाना होगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सशक्तिकरण किसी प्रकार के भेदभाव, विषमता, सोपानक्रम, अधीनता, हिंसा तथा अभाव को मिटाने वाली प्रक्रिया है। यह परिवार से शुरू होकर समुदाय, गाँव–मुहल्ला, बाजार, राज्य तथा लोक–समाज तक होती है। इसे मूर्त रूप में, व्यावहारिक रूप में दैनिक जीवन के संदर्भ में समझा जाता है। अर्थात् सशक्तिकरण न तो औपचारिक ज्ञान मात्र है और न काल्पनिक जादुई छड़ी, बल्कि यह किसी विशिष्ट स्थान तथा कालखण्ड में घटित होने वाली मानवीय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जहाँ किसी शक्तिहीन, पीड़ित या शोषित को भिन्न–भिन्न तरीके से शक्ति सम्पन्न किया जाता है, जिससे की वह मानव जीवन के चरमोत्कर्ष को वैधिक और नैतिक रूप से प्राप्त कर सके।

वैश्वीकरण एक जटिल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्राक्रिया है। समाज वैज्ञानिकों की दृष्टि में वैश्वीकरण की प्रक्रिया समय और दूरी का राष्ट्र–राज्य से आगे संकुचन उत्पन्न करती है। वैश्वीकरण की वर्तमान धारा का उदारीकरण और निजीकरण से अभिन्न सम्बन्ध है। साथ ही इसमें सकारात्मक और नकरात्मक दोनों प्रकार का उर्जा विधमान है जो महिलाओं के लिए जोखिम भरा क्षेत्र है। इस प्रकार वैश्वीकरण एक दोधरी तलवार है जिस पर चलना महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। यदि अंश भर भी ध्यान विचलित हो जाय तो महिलाओं का सार्वभौमिक विकास उलझ कर रह जाएगा। वर्त्तमान वैश्वीकरण में महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया है। महिलाएँ शासन, प्रशासन, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ाने, उन्हें पुरूषों के समकक्ष लाने अथव बराबरी के अवसर प्रदान करने के लिए अनेकानेक संवैधानिक तथा विधि द्वारा प्रदत्त प्रावधानों से अपने स्वयं के निर्णय, अधिकारों एवं योजनाओं के प्रति जागरूक हुई हैं।[7]

वैश्वीकरण में यह शक्ति है कि वह भारतीय समाज में महिलाओं के लिए स्थापित पुराने पारम्परिक अवधारणाओं से मुक्त करा सके, जिससे उनको समाज में पुरूषों के बराबर अधिकार प्रदान किया जा सके। आज भरतीय नारी घरेलू दायरे से बाहर निकल दुनिया के बीच में जाकर अपनी समझ को बड़ा कर रही है। वह स्वयं दफ्तर, विद्यालयों एवं व्यवसाय में हाथ बढ़ा रही है और आत्मनिर्भर हो रही है, साथ ही घर पर काम करने वाली कामकाजी औरतों को रोजगार भी दे रही है, वैश्वीकरण के इस दौर में देखा गया है कि मध्यवर्ग की शहरी नारी को इसका अधिक लाभ मिला है। नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं में ज्यादा आत्मनिर्भरता व स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई है। शहरी क्षेत्रों के निम्न मध्यमवर्गीय परिवार के महिलाओं में कार्य को लेकर परिवर्तन आसानी से देखा जा सकता है। पारम्परिक रूप से महिलाएँ अपने घरेलू कार्यों से निकलकर निजी आय के साधन के लिए दूसरे प्रकार के व्यावसायिक कार्य कर रही हैं जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। आज शहरों में विभिन्न भागों में स्थापित बाजार व्यवस्था तक महिलाओं की पहुँच आसानी से बन पायी है, इसमें स्वयं सहायता समूह से प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएँ घरेलू तौर पर निर्मित वस्तुओं की बिक्री बाजार में कर रही हैं।

भारत में वैश्वीकरण के पश्चात् जिन नए अवसरों एवं सम्भावनाओं की पृष्ठभूमि निर्मित हुई है, उससे निश्चित ही भारतीय महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं। बैंकिंग, वाणिज्य, विपणन जैसे अपेक्षाकृत नए क्षेत्रों में महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं। और यही नहीं परम्परागत लीक से हटकर महिलाएँ विविध क्षेत्रों जैसे– पत्रकारिता, सेना, अभिनय आदि में सफल भी हो रही हैं।

वर्तमान में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सम्पूर्ण परिदृश्य को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में वैश्वीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय आर.रॉबर्टसन तथा एन्थनी गिडेन्स को जाता है। वैश्वीकरण का अर्थ पूरे विश्व को समाहित करने वाली प्रक्रिया से लगाया जाता है, जो सम्पूर्ण विश्व को एक गांव का रूप प्रदान करती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रारम्भ 1990–91 से माना जाता है। लेकिन सही मायने में यह 1980 के दशक के मध्य से ही उपनिवेशवाद के रूप में प्रारम्भ होने लगा था। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ अंतःनिर्भरता है। इसके आर्थिक, सांस्कृतिक,

राजनीतिक और सामाजिक आदि विविध आयाम हैं। ये सभी आपस में अर्न्तसम्बन्धित तथा परस्पर निर्भर हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण एक बहुआयामी एवं जटिल नवीन प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत बाजारों वित्त और प्रौधोगिकियो का एकीकरण हो रहा है। विश्व का ऐसा सकुचन हो रहा है जिसके प्रत्येक कोने में हम इतनी जल्दी और सस्ते में पहुँच जाएं जितने में पहले कभी सम्भव नहीं था।[8]

वैश्वीकरण आर्थिक बदलाव की एक प्रक्रिया है। बढ़ता हुआ उपभोक्तवाद तथा एक और परम्परागत जीवन शैली इसकी प्रमुख विशेषता है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार सांस्कृतिक विस्तार, तीव्र आर्थिक वैश्वीकरण का एक स्वाभाविक परिणाम है। अतःवैश्वीकरण का संदर्भ उन सभी प्रक्रियाओं से है जिससे विश्व के सभी लोग एक विश्व समाज में सम्मिलित हो जाते हैं जिसे वैश्विक समाज कहा जा सकता है। यह पूरे विश्व को समाहित करने वाली प्रक्रिया है। अतः नए स्थान और समय में संस्कृतियों, समुदायों के एकीकरण और उसे जोड़ने वाले तथा अत्यधिक अन्तर्संबंधित बनाने वाले अर्थ में वैश्वीकरण को देखा जा सकता है।

वैश्वीकरण प्रौद्योगिकी और सूचना के जरिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन निर्माण के साथ उत्पन्न हो रही है। तथा यह राष्ट्र–राज्य से आगे संकुचन उत्पन्न करती है। यह आर्थिक संवृद्धि के उद्देश्य से दुनियाँ के देशों और व्यक्तियों के मध्य एकीकरण और अंतर्क्रिया की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उच्च क्षमता वाली संचार प्रौद्योगिकी जैसे – टेलीफोन, कम्प्यूटर तथा इंटरनेट ने सुगम बनाया है। एक तरह से यह अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रक्रिया है। जिसमें सीमा संबंधी बहुत सारी औपचारिकताएं और आपत्तियाँ नहीं होती। यह एक संयुक्त प्रक्रिया है जो प्रौद्योगिकीय क्रांति के द्वारा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। यह एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का समाजशास्त्र है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपान्तर की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कई कार्य करते हैं। यह आर्थिक, तकनीकी तथा सामाजिक ताकतों का एक संयोजन है। आज लगभग पूरी पृथ्वी वैश्वीकरण की विचारधारा से प्रभावित है। संचार प्रौद्योगिकी जैसे– टेलीफोन, टेलीविजन, कम्प्यूटर, इंटरनेट का विकास आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण का सहायक कारक रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के मूल में प्रौद्योगिकी सूचना क्रांति है जिसने समय और स्थान के बीच की दूरी को सिमटा दिया है। इसकी वजह से दुनियां के लोग कभी भी अपनी इच्छानुसार एक–दूसरे से सम्पर्क कर सकते हैं। इसका सीधा प्रभाव दुनियाँ के देशों के बीच आर्थिक अन्योनाश्रितता की संभावना पर पड़ रहा है।[9]

वैश्वीकरण ने विश्व के स्तर की कंपनियों के बीच सूचनात्मक संचार की व्यवस्था स्थापित की है। इससे न सिर्फ कार्य करने वाले पुरूषों के लिए अवसर प्रदान किए गए हैं बल्कि महिलाएँ भी इन अवसरों का लाभ उठा रही हैं। नए कार्य के अवसरों के कारण महिलाओं में न सिर्फ आर्थिक निर्भरता आयी है बल्कि उनमें आत्म निर्भरता और स्वतंत्रता की भावना भी बढ़ी है। तथा इस प्रक्रिया के कारण महिला व पुरूषों के बीच लैंगिक समानता की भावना भी बढ़ी है।

वर्तमान में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सम्पूर्ण परिदृश्य को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैश्वीकरण का तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक सम्बन्धों का सम्पूर्ण विश्व में विस्तार है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सांस्कृतिक, परिवर्तनों की गति तीव्र हुई है। वैश्वीकरण की सद्–इच्छा हमें प्राचीन काल से ही अपने ऋषियों, मुनियों की वाणी में प्रतिध्वनित होती थी जब वे ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' का आवाहन करते थे। वैश्वीकरण ने श्रम का लचीलापन, श्रम का अनौपचारीकरण, श्रम का महिलाकरण एवं महिला सशक्तिकरण जैसी प्रक्रियाओं एवं परिवर्तनों को बढ़ावा दिया है। यह लचीलापन, अनौपचारीकरण तथा पुरूषों की अपेक्षा महिला श्रम में बढ़ोत्तरी ही श्रम का महिलाकरण है। इससे महिलाओं में चेतना, जागरूकता, कर्त्तव्यबोध, अधिकारों के प्रति सजगता, उत्तरदायित्वों में वृद्धि, मनोवृत्ति में बदलाव, निर्णय लेने की क्षमता, कर्मठता एवं दृढ़ता आदि में वृद्धि हुई है, जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। ये सभी वैश्वीकरण के प्रभाव की वजह से ही सम्भव हो रहा है। अतः वैश्वीकरण के इस दौर में महिलाओं को केवल उपभोग की इकाई न मानकर उत्पादन व उपभोग दोनों की इकाई माना जा रहा है।[10]

वैश्वीकरण के कारण संस्कृति में भी अनुकूलनशील परिवर्तन आया है तथा सह–संस्कृति का भी विकास हुआ है। जिसमें अपनी अनुकूलनशील प्रवृति पायी जाती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं के सामाजिक जीवन में अनुकूलनशील परिवर्तन लाने में अहम् भूमिका निभाया है। संयुक्त परिवार की तुलना में अब एकल परिवार में महिलाएँ रहना ज्यादा पसंद करने लगी हैं लेकिन सूचना क्रांति के

विकास के कारण महिलाएँ अपने संयुक्त परिवार से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के पारिवारिक संरचना, प्रकार्य में परिवर्तन लाने में वैश्वीकरण ने अहम् भूमिका निभायी है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण महिलाओं के बीच आधुनिक सोच भी विकसित हो रही है। आज की नारी अधिक स्वतन्त्र और जागरूक है। शिक्षित एवं आर्थिक रूप से सशक्त होने के कारण परिवार के अन्दर उसके निर्णयों को महत्व दिया जाने लगा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महिलाएँ अब धीरे–धीरे पितृसत्ता के आवरण से बाहर आ रही हैं। तथा उनमें सामाजिक घटनाओं की सोच–विचार, विश्वास, मनोवृति आदि में परिवर्तन आया है। परम्परागत विश्वासों और अंधविश्वासों आदि पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना कर लोग इसे नकार रहे हैं। साथ ही परम्परागत और आधुनिक साधनों का प्रयोग मनोरंजन, संस्कार सम्पन्नता, सामाजिक उत्सवों आदि में करने लगे हैं।

वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के साथ–साथ नकारात्मक प्रभाव भी भारतीय महिलाओं पर पड़ा है। उनका सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आधुनिक मीडिया, टी.वी., और वीडियो प्रमुख है, जो कि वैश्वीकरण का शक्तिशाली वाहक है। अपने सौन्दर्य और घर के दायरे में कैद स्त्री वैश्वीकरण के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक है। वैश्वीकरण पहले सौन्दर्य प्रतियोगिताओं और फैशन जगत के माध्यम से सौन्दर्य की प्रतिमूर्त्तियाँ गढ़ता है और फिर उन्हें भाँति–भाँति के रूपों में उपभोक्ताओं के सामने परोस कर अपना माल बेचता है।[11] जिसमें महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को दूसरे या भोगविलासी तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। जिससे समाज में महिलाओं की छवि को नकारात्मकता दी जा रही है।

आज महिलाएँ दो प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। चूंकि महिलाएं विकासशील देशों में कार्यबल के रूप में ही सम्मिलित होती रही हैं परन्तु उसको घरेलू कार्यों से मुक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात् बाहर के कार्यों के साथ घर के कार्यों को करने में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इस प्रकार महिलाएँ ही पूर्णकालिक कार्य करती हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। कारपोरेट संस्कृति का विस्तार और पश्चिमी संस्कृति के सम्मिलन से परिवार व समाज में नियंत्रण को सीमित कर दिया है, जिससे घरेलू हिंसा की घटनाएँ व्यापक तौर पर बढ़ गई है तथा तलाक और परिवार टूटने की परम्परा सी स्थापित हो गई है। इन नकारात्मकताओं के बावजूद महिला सशक्तिकरण में वैश्वीकरण की अहम् भूमिका है।

ये सभी परिस्थितियाँ बताती हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष अर्थात वैश्वीरण के दौर में समाज में काफी तीव्र परिवर्तन देखा जा रहा है, जिसमें वैश्वीकरण जैसी परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन परिस्थितियों में महिलाओं के सशक्तिकरण को देखें तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने निश्चित तौर पर उनके दैनिक जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने की कोशिश की है। यदि हम इन पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो पाते है कि उनके सशक्त होने के लिए ये परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं।

संदर्भ सूची :

1. द्विवेदी, राकेश, महिला सशक्तिकरण : चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ, पूर्वाशा प्रकाशन, भोपाल, प्रथम संस्करण 2005, पृ. 173
2. शर्मा प्रेमनारायण एवं विनायक वाणी, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण, भारत बुक सेन्टर, 2011, पृ0 44–77
3. वही पृ0 61
4. www.vivacepanorma.com/beijing-women
5. अग्रवाल उमेश चन्द्र, नई सदी में महिला सशक्तिकरण के अभिनव प्रयास, प्रतियोगिता दर्पण, जनवरी 2008 प्र0 1047
6. मश्र, अहिल्या, स्त्री सशक्तिकरण के विविध आयाम, अध्ययन प्रकाशन, 2003, पृ. 25
7. श्रीवास्तव राजीव, वैश्वीकरण एवं समाज, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी, 2012–13, पृ0 64
8. पाण्डेय, रवि प्रकाश, वैश्वीकरण एवं समाज, विजय प्रकाशन मंदिर, प्रा. लिमिटेड, वाराणसी, 2012, पृ. 4
9. सिंह, शिवबहाल, विकास का समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन जयपुर, द्वितीय संस्करण 2014, पृ. 173
10. सिंह उमेश प्रताप एवं गर्ग राजेश कुमार, महिला सशक्तिकरण विभिन्न आयाम, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, 2012, पृ0 151
11. सिंह उमेश प्रताप एवं गर्ग राजेश कुमार, महिला सशक्तिकरण विभिन्न आयाम, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, 2012, पृ0 157